

Illegal rickshaw impounded

CHANDIGARH: The Chandigarh Traffic Police under its special drive against rehri/rickshaw with unauthorised fitment of engine in the city held from May 30- June 6, have impounded 62 such illegal rehri/rickshaw. Chandigarh Traffic Police have requested the court not to release such illegal vehicles without dismantling unauthorised fitted engine.

DP

Two get 20-yr jail for violating minor

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, JUNE 7

A local court sentenced two men to 20 years in jail for raping a 16-year-old girl.

The convicts have been identified as Salman, alias lucky and a native of UP, and Ganga Kumar, alias Sonu, a resident of Faidan village.

They were held guilty under Sections 376D, 363 and 366 of the IPC. A fine of Rs 1.05 lakh has also been imposed on each of them.

The victim will thus be granted a compensation of total Rs 2 lakh.

The incident dates back to November 5, last year. As per the complaint, the victim, who was from Himachal Pradesh, had come to Chandigarh on Salman's insistence. However, he took her to a room when she reached the city and raped her.

Later, Salman called his friend Ganga, who too violated her.

The victim managed to flee only to be caught and

Panchayat Bhawan staffer held for rape

Chandigarh: A man has been arrested for raping a girl on the pretext of marriage. The police said the accused, identified as Vinod Kumar, an employee at Panchayat Bhawan, Sector 18, was arrested after the girl lodged a complaint that he raped her in 2017 on the pretext of marriage. Acting on the complaint, the police recorded the victim's statement and got her medical examination done. A case has been registered against the accused at the Sector 19 police station. TNS

thrashed by Salman in a park. A passerby saw this and rang up the child helpline.

By the time the police and a child helpline counsellor reached the spot, the convicts had fled. An FIR was lodged against the two on the victim's statement.

The duo was later arrested.

UT cops to report traffic violations on WhatsApp

TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, JUNE 7

Inspectors, sub-inspectors and assistant sub-inspectors of the UT police have been asked to post pictures of violations of traffic rules on the WhatsApp group of the traffic police.

Sources said the cops had been asked to click the picture of traffic violation they come across and post it on the WhatsApp group of the UT traffic police.

The traffic police had launched their WhatsApp number (9779580985) in 2014 for public to share information about traffic violations in the city.

A UT police Inspector said it was a good initiative by the traffic police to involve all police personnel in the endeavour to ensure safety on city roads.





We care for you

**YOUR PHONE
CAN BE THE
EYES OF
CHANDIGARH
TRAFFIC POLICE**




BE A TRAFFIC SENTINEL


**Use Mobile Camera - Capture Traffic Violations
Send Photo/Video of Violators on Whatsapp**


 **97795-80985**


**Traffic police will issue postal challan
Citizens will be rewarded suitably | Identity will be kept secret**

**Clear view of traffic violation and registration number plate along with
date, time and place are must to initiate action against violators.**

 www.chandigarhpolice.gov.in

 www.chandigarhtrafficpolice.org

 Chandigarh Traffic Police

 @trafficchd | @ssptfchd

Ludhiana man gets 2-yr jail in NDPS case

HT Correspondent

■ chandigarh@hindustantimes.com

CHANDIGARH: The Chandigarh district court awarded two-year imprisonment to a Ludhiana resident, Sukhwinder Singh under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS), here on Thursday. The court also imposed a fine of ₹20,000 on the accused.

The accused was convicted for possessing eight banned injections and 52.4 gm smack. Singh has been convicted under Sections 21 and 22 of the NDPS Act.

The case dates back to January 17, 2017 when the accused was booked by the cops in Sector 17. As per information, the incident took place when the police during a patrol duty saw the accused

HE WAS HELD WITH EIGHT BANNED INJECTIONS AND 52.4 GM SMACK IN 2017

moving towards the main road across Neelam theatre police post. On noticing the police, the accused tried to fled from the spot but was nabbed by the police who recovered injections of Buprenorphine and Pheniramine Maleate from him. The accused failed to produce license for the injections, following which he was arrested. The defence counsel argued that he was falsely implicated by the police and he has no role to play in it. However, after hearing both sides, the court convicted him.

नशीले इंजेक्शन के पकड़े दोषी को 2 साल कैद

चंडीगढ़ (मनोज) : जिला अदालत ने एन.डी.पी.एस के मामले में लुधियाना के समराला निवासी सुखविंदर सिंह को 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को सजा सुनाए जाने के साथ उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सैक्टर-17 थाना पुलिस ने पिछले साल दोषी के खिलाफ एन.डी.पी.एस. 21 और 22 के तहत केस दर्ज किया था। थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार 17 जनवरी 2017 की शाम को नीलम चौकी इंचार्ज शिच चरण ने नीलम थिएटर के बैकसाइड पर मेन रोड पर नाके पर उक्त दोषी के हाथ में पकड़े लिफाफे से 8 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन और हैरोइन बरामद की थी। पुलिस जांच के दौरान युवक की पहचान लुधियाना के समराला निवासी सुखविंदर सिंह के तौर पर की थी।



नाबालिगा से गैंगरेप के दो दोषियों को 20 साल की कैद

चंडीगढ़, 7 जून (संदीप):



नाबालिगा से
गैंगरेप मामले में
जिला अदालत
ने गांव फैदा के
रहने वाले गंगा

और यू.पी. निवासी सलमान को 20-
20 साल कैद की सजा सुनाई है।
प्रत्येक दोषी पर 1.58 लाख का जुर्माना
भी लगाया गया। संबंधित थाना पुलिस
ने दोनों दोषियों के खिलाफ पिछले
साल केस दर्ज किया था। केस के
अनुसार हिमाचल के परवाणूकी रहने
वाली नाबालिगा को जिसे सलमान
कुछ माह पहले से जानता था, शॉपिंग
कराने के बहाने अपने साथ चंडीगढ़
लाया था। यहां सलमान ने उसे सैक्टर-
47 में अपने कमरे में रखा। सलमान
ने पहले तो खुद नाबालिग से दुराचार
किया और बाद में उसके दोस्त ने
भी उसके साथ दुराचार किया।
जैसे-तैसे नाबालिगा उनके चंगुल से
निकल आई। इस पर सलमान और
उसके दोस्त ने उसका पीछा कर उसके
साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी
व्यक्ति ने इसकी सूचना चाइल्ड
हैल्पलाइन पर दी। पुलिस ने दोनों
के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार
किया था।



नाबालिग से सामूहिक दुराचार में दो को 20-20 साल की कैद

परवाणू से बहला-फुसलाकर लाया था चंडीगढ़, 1.58 लाख रुपये प्रत्येक पर लगाया जुर्माना

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। हिमाचल के परवाणू निवासी नाबालिग के अपहरण और उससे सामूहिक दुराचार के मामले में जिला अदालत ने दो युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1.58-1.58 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। सजा पाने वालों में सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सलमान उर्फ लक्की (22 वर्ष) और गांव फैदां निवासी गंगा कुमार उर्फ सोनू (22) शामिल हैं। दोनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर में सेक्टर-31 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पाँक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि अदालत ने दोनों को आईपीसी की धारा 363, 366 और 376 डी के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

5 नवंबर, 2017 को दर्ज मामले के अनुसार परवाणू निवासी 14 वर्षीय किशोरी को सेक्टर-47 निवासी सलमान उर्फ लक्की शॉपिंग कराने की बात कहकर उसे अपने साथ चंडीगढ़ लाया था। वह उसे घटना से चार महीने पहले से जानता था। यहां आने के बाद सलमान ने उसे सेक्टर-47 में अपने ही कमरे में रखा। यहां उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। सलमान बाल काटने का काम करता था। अपने साथ लाकर सलमान ने पहले तो खुद नाबालिग से दुराचार किया। साथ ही उसके एक अन्य दोस्त ने भी उससे दुराचार किया था।



नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुराचार के दोषी गंगा कुमार और सलमान उर्फ लक्की।

एक दिन किशोरी उनके चुंगल से छूटकर वहां से भाग गई तो सलमान ने उसका पीछा किया। किशोरी सेक्टर-44 के पार्क में पहुंच गई थी। वहां सलमान और उसके अन्य दोस्त भी पहुंच गए। सलमान ने शराब पी हुई थी। वहां उसने किशोरी को भागने पर उसे थप्पड़ जड़ दिए। इसी दौरान किसी ने किशोरी से मारपीट होते देख इसकी सूचना पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन में दे दी। मामला बढ़ते देख दोषी वहां से भाग गए थे। हेल्पलाइन टीम

ने किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस को इसकी सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर सलमान और उसके साथी को गिरफ्तार किया था। चाइल्ड हेल्पलाइन में दिए बयान के अनुसार पीड़िता परवाणू में मौसी के साथ उसके ही घर पर रहती थी। उसका कहना था कि वह बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखती है। उसके माता-पिता दोनों रोजाना शराब पीते थे और उससे मारपीट करते थे इसलिए वह मौसी के साथ रहती थी।



We care for you

**आपका फोन
चंडीगढ़ ट्रैफिक
पुलिस की आंख
बन सकता है**



एक ट्रैफिक प्रहरी बनें

**मोबाइल कैमरा इस्तेमाल करें:- ट्रैफिक उल्लंघन की तस्वीरें खींचें
उल्लंघनकर्ताओं की फोटों/वीडियो को व्हॉट्सअप पर भेजें।**



97795-80985

**ट्रैफिक पुलिस पोस्टल चालान जारी करेगी
नागरिकों को समुचित पुरस्कृत किया जाएगा | पहचान गुप्त रखी जाएगी।**

**ट्रैफिक उल्लंघन का स्पष्ट दृश्य एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट साथ में तिथि, समय एवं
स्थान, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अनिवार्य है।**



www.chandigarhpolice.gov.in



www.chandigarhtrafficpolice.org



Chandigarh Traffic Police



@trafficchd | @ssptfchd

मनीमाजरा की मार्केट में बुलेट से पटाखे छोड़ने वाला पकड़ा



बाजार में बुलेट से पटाखे छोड़ने वाले को पकड़ते पुलिस वाले।

पटाखों से डर कर सहम जाते हैं। एसएचओ ने बताया कि उन्होंने बाजार में निकलते समय एक ऐसे बुलेट को रोककर खुद चेक किया, तो बुलेट के साइलेंसर से पटाखे निकल रहे थे। जिसके चलते इस बुलेट मोटर साइकिल को थाने ले जाकर उसका चालान करके पटाखे मारने वाले सिस्टम को हटा दिया गया है।

मनीमाजरा। मेन बाजार में गश्त करते हुए वीरवार शाम को मनीमाजरा के एसएचओ रणजीत सिंह ने एक पटाके मारने वाले बुलेट को पकड़ा। मेन बाजार में युवकों द्वारा बुलेट से पटाखे मारने से परेशान व्यापारियों ने एसएचओ को इसकी शिकायत भी दी थी। व्यापारी इंद्र बब्बर, हरिश सहदेव का कहना था कि बुलेट मोटर साइकिल पर घूमने वाले युवक अक्सर बुलेट के पटाखे मारते बाजार से निकलते हैं। इनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इस बुलेट के